अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री	

महन्त श्री रामस्वरूप शरण बनाम राज.सरकार वगैरह

16/4/19 पत्रावली वास्ते आदेश आवेदन अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. दिनांकित 05.04.2019 द्वारा अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 3 पेश की गई।

अप्रार्थी ने अपने आवेदन में कथन किया कि यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत् जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांकित 12.11.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई । जिसमें अप्रार्थी संख्या 03 नगर पालिका, पुष्कर के पक्ष में किए गए हस्तातंरण से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई एवं आगे उल्लेख किया कि अपीलांट प्रार्थी द्वारा एक नियमित वाद उपखण्ड अधिकारी, अजमेर समक्ष वाद संख्या 78/2003 बाबत् घोषण, हक खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन हैं। आगे उल्लेख किया कि हस्तगत प्रकरण एक संक्षिप्त कार्यवाही (Summary Proceeding) है जबकि हक हकूक बाबत् नियमित वाद विचाराधीन है। इस कारण इस प्रकरण को इसी स्तर पर स्टे (Stay)किया जावे।

इस सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा 2013 आर.बी.जे. पेज 77, 2006 आर.बी.जे0 पेज 366 के न्यायिक दृष्टांत पेश किए।

जवाब में अपीलांट अभिभाषक द्वारा कथन किया कि अपीलाधीन भूमि के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय के वाद संख्या 48/2003 उनवानी रामस्वरूप शरण बनाम राजस्थान सरकार व अन्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष दिनांकित 23.10.2003 को प्रस्तुत कर प्रतिवादी राजस्थान सरकार एवं प्रबन्धक रोडवेज के विरूद्ध घोषणात्मक एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। हस्तगत अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या 03 नगर पालिका पुष्कर, वाद में पक्षकार नही है तथा न ही उनके विरूद्ध कोई अनुतोष चाहा है क्योंकि दौराने विचाराधीन वाद दिनांक 12.11.2012 को विवादित भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 03 प्रार्थी को हस्तांतरित कर दी गई। इससे व्यथित होकर भू–राजस्व अधिनियम के तहत् नियमित अपील प्रस्तुत की गई है जो संक्षिप्त कार्यवाही की परिभाषा में नही आती है। रेस्पोडेन्ट संख्या 03 नगर पालिका, पुष्कर द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत वाद के दौराने यदि नामान्तकरण सम्बन्धि चाराजोही यदि अलग से की जाती है जिसमें विषयवस्तु व पक्षकार समान हो तो नामान्करण की कार्यवाही स्वीकृत रूप से संक्षिप्त कार्यवाही (Summary Proceeding) की श्रेणी में आता है तथा इसे नियमित वाद के निर्णय तक स्टे किया जाना चाहिए।

हस्तगत प्रकरण में जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा भू–राजस्व अधिनियम के तहत् भूमि जो रेस्पोडेन्ट संख्या 03 नगर पालिका,पुष्कर को हस्तांतरित की गई है कि जो संक्षिप्त कार्यवाही की श्रेणी में नहीं आता है। इस कारण प्रस्तुत कानूनी नजीरें प्रकरण में चस्पा नहीं होने का कथन करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

उभयपक्षों की बहस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया।

अप्रार्थी संख्या 03 का कथन है कि हस्तगत अपील संक्षिप्त कार्यवाही (Summary Proceeding) की श्रेणी में आती है तथा इसी आराजी बाबत् नियमित वाद अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है, इस कारण इस अपील को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय तक स्थगित किया जावें।

पत्रावली पर उपलब्ध लम्बित वाद की प्रमाणित प्रति एवं वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 जा.दी. का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन भूमि के सम्बन्ध में वादी/अपीलांट द्वारा हक हकूक खातेदारी की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर रखा है जिसमें राजस्थान सरकार एवं रोडवेज को पक्षकार बनाया हुआ है एवं आदेश 06 नियम 17 जा.दी. के प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री	
	पाया जाता है तथा हस्तगत अपील नियमित वाद संख्या 78/2003 के अंतिम निस्तारण तक स्थगित (Stay) की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। 16/4/19 राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	